

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क्रमांक-254 / 2011
 संस्थित दिनांक-02 / 05 / 2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा चौकी उकवा, थाना रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

विरुद्ध

महेश चौहान पिता झाड़ूलाल उम्र-34 वर्ष,
 साकिन लगमा, वार्ड नं-4, थाना रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियुक्त

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-28 / 01 / 2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-03.03.2011 को समय 4:00 बजे स्थान ग्राम छिन्दीटोला चौकी उकवा, थाना रूपझर, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.22/बी. 7645 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत बस्तुलाल को ठोस मारकर घोर उपहति कारित किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना आरोपी ने दिनांक-03.03.201 को समय 4:00 बजे स्थान ग्राम छिन्दीटोला चौकी उकवा, थाना रूपझर, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.22/बी. 7645 को तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाते हुये ग्राम लगमा एवं छिन्दीटोला के बीच मोड़ पर लगमा से उकवा की ओर साईकिल से जा रहे बस्तुलाल बैगा को ठोस मार दिया जिससे उसके दाहिने कंधे, सीना, पसली में अंदरूनी चोटें लगी थी। आहत को ईलाज हेतु डॉ० पारधी (मिताली अस्पताल) बालाघाट में भर्ती किया गया। अस्पताल से लिखित तहरीर प्राप्त होने पर जांच उपरान्त पुलिस थाना रूपझर में वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-29/2011, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया

गया। पुलिस द्वारा आहत बस्तुलाल की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-03.03.2011 को समय 4:00 बजे स्थान ग्राम छिन्दीटोला चौकी उकवा, थाना रूपझर, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.22/बी. 7645 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत वास्तुलाल को ठोस मारकर घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत बस्तुलाल तेकाम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक 03.03.11 की दिन के 4:30 बजे की है। वह साईकिल से बच्ची को लेने लगमा से उकवा जा रहा था, तभी ग्राम छिन्दीटोला के पास रोड़ पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। ट्रेक्टर वाले ने उसे सामने से टक्कर मारा था, जिससे वह बेहोश हो गया था। उसके उपर ट्रेक्टर का चका चढ़ गया था, जिससे उसकी पसली में अस्थिभंग हो गया। घटना के समय ट्रेक्टर आरोपी तेजी से चला रहा था। उक्त दुर्घटना आरोपी महेश की गलती से हुई थी। उसे बालाघाट अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उसे चार दिन बाद होश आया था। पुलिस ने उसके होश आने के बाद ग्राम लगमा में उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी साधारण गति से ट्रेक्टर चला रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने अस्पताल में भर्ती होने के समय यह जानकारी दी थी कि वह साईकिल से गिर गया था, इस कारण उसे चोट आई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह साईकिल से स्वयं गिर गया था इस कारण उसे चोट आई थी। इस प्रकार साक्षी के कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है।

6— धरम तेकाम (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दिनांक 03.03.11 की शाम की साढ़े चार-पांच बजे की है। आहत बस्तुलाल छिन्दीटोला और लगमा के बीच घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। आहत बस्तुलाल बेहोशी की हालत में था। उसने बस्तुलाल के भाईयो को बुलाया और उसे बालाघाट ईलाज हेतु लेकर गए। आहत बस्तुलाल को पसली में अस्थिभंग हुआ था और कंधे में चोट आई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय नहीं था, तथा बाद में आया था, इस कारण वह नहीं बता सकता कि घटना कैसे घटी थी, यदि आहत को साईकिल से गिरकर चोट आई हो तो उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ट्रैक्टर को कौन चला रहा था, इसकी जानकारी उसे नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन न करते हुए मात्र आहत बस्तुलाल को घटना के समय रास्ते में घायल अवस्था में पड़े होने और उसे अस्थिभंग कारित होने के तथ्य का समर्थन किया है।

7— चंद्रशेखर (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी एवं आहत को पहचानता है। घटना वर्ष 2011 के दिन के 4.30 बजे ग्राम छिन्दीटोला की है। उक्त साक्षी का कहना है कि जब आहत बस्तुलाल अपनी बच्ची को लेने स्कूल जा रहा था, तभी सामने से एक ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर का स्टेरिंग आहत की ओर घुमा दिया, जिससे ट्रैक्टर का चका आहत बस्तुलाल के उपर चढ़ गया था। बस्तुलाल को उक्त दुर्घटना में सीने में चोट आई और उसकी अस्थिभंग हो गई थी। बस्तुलाल अपनी साईड से जा रहा था, उक्त घटना ट्रैक्टर चालक की गलती से हुई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन आरोपी महेश नहीं चला रहा था। घटना के समय ट्रैक्टर भीमसेन चला रहा था, जो ट्रैक्टर मालिक सुरेश चौहान के यहां काम करता था। भीमसेन के पास ट्रैक्टर का लाईसेंस नहीं था, इसलिए महेश को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने उससे हस्ताक्षर लिए थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घटना के समय आरोपी महेश ट्रैक्टर को चला रहा था। उसने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 को भी देने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के समय वह नहीं था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि ट्रैक्टर कैसे चल रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह घटना के थोड़े देर बाद पहुंचा था। इस प्रकार साक्षी ने उसके सामने घटना घटित न होना तो प्रकट किया है, किन्तु घटना के समय आरोपी महेश के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन नहीं चलाया जाना, तथा भीमसेन नामक व्यक्ति के द्वारा उक्त वाहन का चालन किया जाना प्रकट किया है, जिस कारण अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न होता है।

8— सुरेश चौहान (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके घर पर ट्रैक्टर है। महेश ने लगभग दो माह उनके यहां ट्रैक्टर चलाया था। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी। उसे घटना के संबंध में

कोई जानकारी नहीं है। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 के अ से अ भाग में उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसके नाम पर ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 22- बी.-7645 है। उसने यह अस्वीकार किया की उक्त ट्रेक्टर आरोपी महेश चला रहा था। आरोपी महेश ट्रेक्टर में धान भरकर सुखचंद नौकर के साथ उकवा गया था। साक्षी ने उक्त कथन से भी इंकार किया कि आरोपी ने छिन्दीटोला के नाला के गोलाई पर ट्रेक्टर से एक्सीडेंट कर दिया था। साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-3 के अनुसार कार्यवाही किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिसवाले के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय गाड़ी कौन चला रहा था, उसे जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने दुर्घटना कारित वाहन के स्वामी होते हुए आरोपी के द्वारा घटना के समय वाहन का चालन किये जाने से इंकार किया है, तथा वाहन जप्ती की कार्यवाही से भी इंकार किया है।

9— श्रवण चौहान (अ.सा.5) प्रहलाद चौहान (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि पुलिस ने उनके सामने इलिम तेकाम से कोई जप्ती नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उनके सामने जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 के अनुसार साईकिल क्षतिग्रस्त हालत में जप्त की थी। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

10— अनुसंधानकर्ता फूलचंद तरवरे (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 10.03.11 को वह पुलिस चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-29/11 धारा 279,337, 184 मोटरयान अधिनियम का कायमी किया था, जो प्रदर्श पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। चौकी प्रभारी उकवा द्वारा उक्त मामले की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 11.03.11 को घटना स्थल पर पहुंचकर प्रार्थी धरमसिंह के बताए अनुसार घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दौरान विवेचना पर प्रार्थी धरमसिंह, गवाह चन्द्रशेखर, बस्तुलाल, सुरेश चौहान के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। गवाहों के समक्ष एक लेडिस साईकिल लाल रंग की क्षतिग्रस्त हालत में इलिम तेकाम से जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12.03.11 को महेश चौहान द्वारा पेश करने पर एक ट्रेक्टर एम.पी. 22 ए-7645 मय टाली एवं दस्तावेज के जप्त किया था, जो प्रदर्श पी-2 है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण उपरांत चालानी कार्यवाही हेतु थाना रूपझर की ओर प्रेषित किया।

11— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत के मुलाहिजा फार्म में साईकिल से गिरने वाली बात लेख है, तथा डॉ. सी.के. पारधी द्वारा लेख करने के आधार पर उसने भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में साईकिल से गिरने से आई चोट लेख किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय आरोपी महेश उक्त वाहन नहीं चला रहा था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में शेष तथ्यों के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने दुर्घटना कारित वाहन जप्त किये जाने व अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

12— डॉक्टर संजय शुक्ला (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह दिनांक-05.03.2011 को अपने निजी नर्सिंग शुक्ला नर्सिंग होम में चिकित्सक का कार्य कर रहा था, उक्त दिनांक को आहत बस्तुलाल उम्र 20 वर्ष को डॉ. सी.के. पारधी ने एक्सरे रिपोर्ट हेतु भेजा था। एक्सरे का अध्ययन करने पर उसने पाया कि उसकी दाहिने क्लेविकल हड्डी तथा दाहिने तरफ की 2, 3 व 5 पसली की हड्डी में फ्रैक्चर होना पाया था। उक्त एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आहत बस्तुलाल को साईकिल से गिरने के कारण चोट आना स्वीकार किया है। साक्षी ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि आहत बस्तुलाल को अस्थिभंग होने से घोर उपहति कारित हुई थी।

13— डॉ. सी.के. पारधी (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-03.03.2011 को मिताली नर्सिंग होम में चिकित्सक के रूप में कार्यरत था, उक्त दिनांक को आहत बस्तुलाल तेकाम पिता झाडुलाल तेकाम निवासी लगमा तहसील बैहर जिला बालाघाट ने सायकल से गिरकर चोट आना बताया था। जिसकी सूचना प्रदर्श पी-7 के माध्यम से थाना कोतवाली को दी गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत का परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 तैयार की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि आहत बस्तुलाल को साधारण चोट कारित हुई थी, यद्यपि साक्षी के कथन में बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए बचाव को भी समर्थन प्राप्त होता है कि उक्त आहत को साईकिल से गिरने के कारण चोट आई थी।

14— रूपसिंह चौहान (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 13.03.11 को ट्रेक्टर क्रमांक-22/बी-7645 का मैकेनिकल परीक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी से ट्रेक्टर मय दस्तावेज के जप्त किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने उक्त वाहन चला कर नहीं देखा, इस कारण नहीं बता सकता कि वह खराब था या सही था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि

उसने पुलिस के कहने पर उसने प्रदर्श पी-10 की इबारत लेख की थी। साक्षी ने जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही एवं परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 का पूर्णतः समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

15— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण में से आहत बस्तुलाल (अ.सा.1) के अलावा अन्य किसी भी साक्षी ने कथित दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है। मात्र आहत बस्तुलाल (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान करते हुए आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर को घटना के समय तेजी से चलाया जाना एवं उसकी गलती से दुर्घटना होना प्रकट किया है। यद्यपि अन्य साक्षीगण में से धरम (अ.सा.2) व चंद्रशेखर (अ.सा.3) ने घटना कैसे घटी जानकारी न होना प्रकट किया है। महत्वपूर्ण साक्षी चंद्रशेखर (अ.सा.3) का कहना है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन आरोपी महेश नहीं चला रहा था। घटना के समय ट्रेक्टर भीमसेन चला रहा था, जो ट्रेक्टर मालिक सुरेश चौहान के यहां काम करता था। भीमसेन के पास ट्रेक्टर का लाईसेंस नहीं था, इसलिए महेश को आरोपी बनाया गया है। उक्त तथ्य स्वयं अभियोजन के साक्षी के द्वारा प्रकट किया गया होने से उस पर अविश्वास किये जाने का कारण प्रकट नहीं होता है। उक्त साक्ष्य बचाव पक्ष द्वारा लिये गए बचाव को समर्थन प्रदान करती है कि घटना के समय आरोपी दुर्घटना कारित वाहन नहीं चला रहा था।

16— आहत बस्तुलाल के मुलाहिजा फार्म में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथा चिकित्सीय साक्षीगण की साक्ष्य में आहत बस्तुलाल के साईकिल से गिर जाने के कारण चोट कारित होना मामले को संदेहास्पद बनाता है। आहत बस्तुलाल के द्वारा युक्तियुक्त समय में पुलिस को कथित दुर्घटना की जानकारी नहीं दिए जाने और प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्पताल तहरीर के आधार पर घटना के छः दिन पश्चात् विलंब से लेख होना भी अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न करता है, जिसे अभियोजन की ओर से दूर नहीं किया गया है।

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-22/बी-7645 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन से टक्कर मारकर आहत बस्तुलाल को घोर उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-22/बी-7645 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार सुरेश कुमार चौहान पिता जीवनलाल चौहान निवासी ग्राम लगमा तहसील बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दना पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि

पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट